

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

द्वारा संचालित योजनाओं से वित्त पोषण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

योजना का नाम : जनपद :

बैंक का नाम जिसमें आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है :

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. आवेदक का पूरा स्थाई पता

.....

.....

4. आवेदक की जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. आवेदक की वार्षिक आय (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त)

6. राशनकार्ड की उपलब्धता (छायाप्रति संलग्न करें)

7. यदि ड्राइविंग लाईसेन्स कामर्शियल या अन्य कोई प्रशिक्षण पत्र की आवश्यकता हो तो उसका विवरण

..... (छायाप्रति संलग्न करें)

8. योजना जिसके अधीन लाभार्थी लाभ चाहता है

(जैसे-स्वतः रोजगार योजना/स्वच्छकार विमुक्ति योजना/दुकान निर्माण योजना/राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित आदि)

9. योजना के अधीन परियोजना का विवरण

.....

10. परियोजना की अनुमानित लागत रु.

(शब्दों में रु.)

.....

(परियोजना रिपोर्ट/वित्तीय सहायता रिपोर्ट संलग्न की जा सकती है)

11. क्या पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किया था (विवरण लिखें)

.....

.....

12. पूर्व में प्राप्त लाभ के ऋण अंश के वसूली की अद्यावधिक स्थिति

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य पूर्णतया सही एवं वास्तविकता पर आधारित है । यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तब मैं उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा ।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

चयनित/सर्वेक्षित संस्था वर्ष

एस.सी.पी. 1 क्रमांक संख्या बैंक प्रेषित की तिथि उक्त प्रार्थना पत्र
दिनांक को प्राप्त हुआ है तथा कार्यालय से उपलब्ध लाभार्थी पंजी/एस.सी.पी.-1 के

पृष्ठ संख्या : पर दर्ज कर लिया गया । उक्त आवेदन पत्र स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है ।
चयन समिति द्वारा संस्तुत योजना की लागत (शहरी क्षेत्र के मामले में) रुपये योजना की लागत

..... बैंक ऋण मार्जिन मनी ऋण अनुदान

ग्राम विकास अधिकारी/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/सहायक प्रबन्धक/जिला प्रबन्धक

दिनांक (पदनाम मोहर सहित)

(बैंक के प्रयोग हेतु)

श्री/श्रीमती/कु० निवासी

की योजना हेतु रु.

(शब्दों में रु.)

..... का बैंक ऋण प्रतिशत

ब्याज दर पर दिनांक को स्वीकृत किया जाता है, इस ऋण की अदायगी

मासिक/त्रैमासिक किस्तों में की जायेगी ।

स्वीकृत योजना की लागत रु. मानते हुए बैंक ऋण तथा निगम द्वारा

मार्जिन मनी ऋण रु. एवं रु. शासकीय अनुदान अवमुक्त की जाये ।

बैंक शाखा प्रबन्धक के मुहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक

(जिला समन्वय समिति का चयन का विवरण)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लाभार्थी का चयन समिति की बैठक दिनांक में किया गया है,

जिसका कार्यवृत्त कार्यालय में सुरक्षित है । इस प्रकरण में रु. अनुदान, रु.

मार्जिन मनी ऋण तथा रु. बैंक ऋण/राष्ट्रीय निगम ऋण स्वीकृत कर भुगतान किया गया ।

जिला प्रबन्धक

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.